प्राथमिकता सं. 18

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 178
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन क्षमता

178* श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अगले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य में दक्षिणी ग्रिड के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमता और भार प्रवाह में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन क्षमता की वर्तमान स्थिति क्या है और आगामी तीन वर्षों के दौरान इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन में नई निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने और समायोजित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

****

<u>विवरण</u>

"तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन क्षमता" के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 178 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क) और (ख) : तमिलनाडु राज्य में संस्थापित उत्पादन क्षमता 43,107 मेगावाट है। अगले तीन वर्षों में राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अगले तीन वर्षों में राज्य क्षेत्र में 3,440 मेगावाट तापविद्युत क्षमता और 500 मेगावाट पंप भंडारण क्षमता शुरू की जानी है।

(ii) अगले तीन वर्षों में शुरू होने वाली न्यूक्लियर परियोजनाओं से तमिलनाडु को लगभग 2,151.8 मेगावाट का हिस्सा मिलेगा।

(iii) राज्य में अगले तीन वर्षों में लगभग 6,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता शुरू की जानी है।

(iv) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) परियोजना जैसी स्कीमों की शुरूआत की गई है।

तमिलनाडु उच्च क्षमता वाले पारेषण कॉरिडोर के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड से सुदृढ़ता से जुड़ा हुआ है, जिसमें 765 केवी और 400 केवी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) एसी लाइनों के साथ-साथ +/-800 केवी उच्च वोल्टेज (एचवी) डीसी सिस्टम शामिल हैं, जो तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/राष्ट्रीय ग्रिड के बीच अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क के माध्यम से विद्युत के सुचारू अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।

विभिन्न अंतर-क्षेत्रीय लिंक जैसे- नरेंद्र (दक्षिणी क्षेत्र) से पुणे (पश्चिमी क्षेत्र) 765 केवी डी/सी लाइन, अंगुल (पूर्वी क्षेत्र) से श्रीकाकुलम (दक्षिणी क्षेत्र) 765 केवी द्वितीय डी/सी लाइन और बीदर (दक्षिणी क्षेत्र) से परली (पश्चिमी क्षेत्र) 765 केवी डी/सी लाइन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये अंतर-क्षेत्रीय लिंक, दक्षिणी क्षेत्र के उच्चतम मांग अवधि के दौरान तमिलनाडु सहित दक्षिणी क्षेत्र की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करेंगे। ये लिंक दक्षिणी क्षेत्र से अधिशेष विद्युत के निर्यात को भी सुगम बनाएंगे।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस-मुक्त गतिविधि है।

भारत सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में विद्युत उत्पादन, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अगले दस वर्षों के लिए डिस्कॉम द्वारा आबद्ध की जाने वाली क्षमता को दर्शाने वाली संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार की गई है। इससे निजी क्षेत्र सहित विद्युत उत्पादनकर्ताओं को तमिलनाडु सहित देश में उत्पादन क्षमता स्थापित करने की संभावना प्राप्त हुई है।

(ii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बोली जारी करने के लिए बोली प्रक्षेप पथ जारी किया है।

(iii) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं, दिसंबर, 2030 तक हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं और दिसंबर, 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।

(iv) देश में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन क्षमता वृद्धि के एकीकरण की सुगमता के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पारेषण योजना अर्थात् "वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण हेतु पारेषण प्रणाली" तैयार की गई है। इसमें तमिलनाडु में 8 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (5 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा सहित) की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली शामिल है, जिसमें से 1.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) पहले ही शुरू हो चुकी है; 1 गीगावाट (0.5 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा सहित) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए, पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) कार्यान्वयनाधीन है और 5.0 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) की पहचान की गई है और इसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

(v) स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(vi) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और उसे सुगम बनाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

(vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने हेतु सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(viii) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली प्रक्रिया और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों का संकेत दिया गया है।

(ix) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए उप-स्टेशन क्षमता निर्माण के लिए निधि उपलब्ध कराई गयी है।

(x) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री को सुगम बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरूआत की गई है।

(xi) सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 7,453 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 1 गीगावाट क्षमता की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी, जिसमें से 500 मेगावाट क्षमता तमिलनाडु के तट पर स्थापित की जाएगी।

इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) तमिलनाडु सरकार द्वारा निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु पम्प स्टोरेज परियोजनाओं और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट से 10 मेगावाट तक) की स्थापना के लिए नीतियाँ जारी की गई हैं।
(ii) तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों में कुल 13,500 मेगावाट क्षमता वाली पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है और इन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत स्थापित किया जाना है।
(iii) स्व-चिह्नित पम्प स्टोरेज परियोजनाओं और लघु जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए, अभिरुचि पत्र आमंत्रित करके विकासकर्ताओं की पहचान की गई है और आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

****